

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.364
दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

दुर्लभ खनिज

364. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता पर कोई हालिया अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;
- (ख) यदि हां, तो देश भर में राज्य-वार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पहचाने गए दुर्लभ खनिजों और उनकी अनुमानित मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिले में वर्तमान में चल रही खदानों और सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार किसी लघु खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में दुर्लभ खनिजों की खोज, निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
- (च) दुर्लभ खनिजों के विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और दुर्लभ खनिजों की घरेलू आपूर्ति में सुधार करने में उनकी सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एमईएमसी नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों का अनुपालन करते हुए वार्षिक कार्य सत्र कार्यक्रम के अनुसार देश के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण खनिजों सहित विभिन्न खनिज पदार्थों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी4), प्रारंभिक गवेषण (जी3) और सामान्य गवेषण (जी2) करता है। 2020-21 से 2023-24 तक के कार्य सत्र से, जीएसआई ने देश भर में दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई), दुर्लभ धातु (दुर्लभ धातु), टिन, टंगस्टन, क्रोमियम, प्लेटिनम तत्व समूह (पीजीई), टाइटेनियम, वैनेडियम, टंगस्टन, लिथियम, मोलिब्डेनम, निकल, स्कैंडियम, बैराइट, ग्लौकोनाइट, ग्रेफाइट, पोटाश, फॉस्फेट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों की खनिज क्षमता का

आकलन करने के लिए 433 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। वर्तमान कार्य सत्र 2024-25 के दौरान, जीएसआई ने महत्वपूर्ण खनिजों की खनिज क्षमता का आकलन करने के लिए देश भर में 195 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से जीएसआई द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों के लिए संवर्धित संसाधनों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों की कोई खान चालू नहीं है। महत्वपूर्ण खनिजों की खानों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

खनिज / राज्य	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
बेरिल	-	2	2
राजस्थान	-	2	2
ग्रेफाइट	10	17	27
छत्तीसगढ़	1	-	1
झारखंड	2	9	11
कर्नाटक	-	2	2
केरल	-	1	1
ओडिशा	6	-	6
तमिलनाडु	1	5	6
टिन	6	11	17
छत्तीसगढ़	6	8	14
ओडिशा	-	3	3

इसके अतिरिक्त, नेल्लोर सहित आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान जीएसआई द्वारा शुरू की गई सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों पर परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): वर्तमान में ऐसे किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों सहित खनिज गवेषण के लिए जीएसआई द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई कुल निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	करोड़ रुपये में				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (15.11.24 तक)
कुल निधि आबंटन	32.05	54.60	63.00	66.15	65.75
कुल निधि उपयोग	31.92	54.47	62.93	66.06	48.54
विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए निधि आबंटन	0.57	1.25	1.17	1.56	1.07

विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए निधि उपयोग	0.57	1.25	1.16	1.56	0.96
--	------	------	------	------	------

(च): केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के भाग के रूप में, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे उपयोगकर्ता उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण, और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की भी घोषणा की गई है।

इसके अतिरिक्त, उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिससे खनन में एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग घ में 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों को शामिल करना और केंद्र सरकार को इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनिज रियायतों की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार देना जैसे बड़े सुधार शुरू किए गए हैं।

अनुलग्नक-I

विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज पदार्थों के लिए एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से विभिन्न कट-ऑफ और ग्रेड पर जीएसआई (राज्यवार) द्वारा संवर्धित संचयी संसाधन का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	खनिज पदार्थ (मिलियन टन में)														
	कोक आरआई आरएम	नाइओबियम	पीजीई	ग्रेफाइट	ग्लौकोनाइट/ पोटाश	फॉस्फोराइट	टाइटेनियम	गैलियम	वैनेडियम	मोलिब्डेनम	टंगस्टन	लिथियम	निकल	कोबाल्ट (टन में)	टिन
असम	30.51														
आंध्र प्रदेश				0.43											
अरुणाचल प्रदेश				13.6					0.38						
बिहार	5.84				300										
छत्तीसगढ़					4.14	20		30.5	11.6						
गुजरात	192.67	282													
हरियाणा											1.35				3
झारखंड	0.009				138.27		28.7	12.9	17.73						
जम्मू और कश्मीर												5.9			
कर्नाटक	0.75												2.4	275	
केरल			0.3										0.2		
महाराष्ट्र	0.046														
मध्य प्रदेश				15	23.91			28.7	38.67						
ओडिशा				0.99									2.1		
राजस्थान					354.02						20.12	6.4			
उत्तर प्रदेश	0.342				9.66		12.6	2.5	2.72						
तमिलनाडु			0.7	2.02						1.7	0.07				
पश्चिम बंगाल	0.67														
कुल	230	282	1	32	830	20	41	74	71	1.7	21.5	12.3	4.7	275 टन	3

अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में जीएसआई द्वारा शुरू की गई सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों पर परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	जिला	खनिज ब्लॉक/क्षेत्र/बेल्ट का नाम	यूएनएफसी चरण	खनिज पदार्थ
कार्य सत्र 2020-21				
1	अनंतपुर	बालेपालयम- रामगिरि	जी-4	टंगस्टन
2	कडप्पा	मंगमपेटा	जी-4	बैराइट
3	चित्तूर	बिसनट्टम-गुडीपल्ली-संगनापल्ली	जी-4	मोलिब्डेनम
कार्य सत्र 2021-22				
4	पूर्वी गोदावरी	बुरुगुबांदा	जी-2	ग्रेफाइट
5	अनंतपुर	चारुपल्ले-कलासमुद्रम-बत्रेपल्ले	जी-4	मोलिब्डेनम, सोना
6	कडपा	पुल्लमपेट-वट्टालुरु	जी-4	फॉस्फोराइट
7	अनंतपुर और कडपा	पर्णापल्ले-लोपाटनुतुला	जी-4	लिथियम
8	अनंतपुर	सीआर पल्ले-इंदुकुरुपल्ले	जी-4	मोलिब्डेनम, सोना
9	नेल्लोर	चिन्नवरिमदुगु-कंदुरावरिपल्ले	जी-4	मोलिब्डेनम, आरईई, आरएम
10	अनंतपुर	ओबगनपल्ली-मुष्टिवरलामांडा	जी-4	आरईई, आरएम
11	पश्चिम गोदावरी	वेलागापाडु	जी-4	आरईई
कार्य सत्र 2022-23				
12	कुरनूल	लांजाबांदा-गोवर्धनगिरी	जी-4	मोलिब्डेनम
13	वाईएसआर कडपा	उप्पालुरु	जी-3	कोबाल्ट, निकल, तांबा
14	चित्तूर	चिलामकुलापल्ले - नरसिम्हराजुपुरम	जी-4	आरईई
15	पश्चिम गोदावरी	कोट्टापल्ले	जी-4	आरईई
16	कडपा	खाजीपेटा-नन्द्यालम्पेटा	जी-4	फॉस्फोराइट
17	कडपा	चेन्नूर	जी-4	फॉस्फोराइट

18	विजयनगरम	परासाम-गरुडाबिल्ली	जी-4	ग्रेफाइट, मैंगनीज
19	अनंतपुर	बालेपालयम	जी-3	टंगस्टन
20	विजयनगरम	गरिविदी	जी-4	आरईई, मैंगनीज
21	नेल्लोर	अय्यागरीपलेम-पालिचेरलापाडु	जी-4	आरईई, आरएम

कार्य सत्र 2023-24

22	पूर्वी गोदावरी	उटला	जी-3	ग्रेफाइट
23	अनंतपुर	कंबादुरु-ऐपरसिपल्ली	जी-4	आरईई, आरएम
24	अल्लूरी सीतारामा राजू और ईस्ट गोदावरी	नरसापुरम-नेल्लीपुडी	जी-4	ग्रेफाइट
25	चित्तूर और अन्नमय्या	सोरकायलापेटा-तुम्मनगुंटपल्ले	जी-4	आरईई
26	नेल्लोर	पोडिलिकोंडा और कनिगिरि	जी-4	आरईई, आरएम
27	प्रकाशम	चालिवेंद्र-मार्लापालेम	जी-4	आरईई, आरएम
28	अन्नामय्या और कोलार	सुरपुवारीपल्ले-कोट्टापल्ली	जी-4	आरईई
29	एनटीआर और पालनाडु	जयंतीपुरम-वेदाद्रि	जी-4	कोबाल्ट
30	एलुरु	मुलागलमपल्ली	जी-4	आरईई

कार्य सत्र 2024-25

1	एलुरु	अलीवेरु-दोरामामिडी	जी-4	ग्रेफाइट
2	विजयनगरम और अल्लूरी सीतारामराजू	कोरलम-बुदातनपल्ली	जी-4	ग्रेफाइट, मैंगनीज
3	वाई.एस.आर कडप्पा	मुरीचिन्ताला-वेंकटपुरम	जी-4	लिथियम
4	नंदयाल और अनंतपुरमु	कोम्मामरी-रचेरला	जी-4	फॉस्फोराइट
5	नेल्लोर	कोट्टापलेम-चमडाला	जी-4	आरईई

6	कुरनूल	गुडुलुरु-बोल्लावरमे	जी-4	टिन, टंगस्टन, आरएम
7	अन्नमय्या	एंडापल्ली	जी-4	आरईई, आरएम
8	विजयनगरम और विशाखापत्तनम	चेल्लुरु-सावराविल्ली	जी-4	आरईई
